सं0सं0–म0नि0–II–उ0 यो0–48 / 2017–18 / 15 रा0 (मि0)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

20.8.25 (योजना)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची / दिनांक 20.08.25

विषय– वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित योजना–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् कुल 1,74,050 सक्रिय मछुआरों के बीमा {प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना– Group Accident Insurance Scheme (GAIS) in convergence with Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)} हेतु कुल मो0 55,66,816 / – (पचपन लाख छियासठ हजार आठ सौ सोलह) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग सं0–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् कुल 1,74,050 सक्रिय मछुआरों के बीमा **{प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना–Group Accident Insurance Scheme (GAIS) in convergence with Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)}** हेतु कुल **55,66,816 / – (पचपन लाख छियासठ हजार आठ सौ सोलह) रुपये** मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2025-26 दिनांक 08.05.2025 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत् क्रियान्वित की जा रही Group Accident Insurance Scheme (GAIS) को अब Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) के साथ अभिसरण कर दिया गया है।

3. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2025-26 दिनांक 08.05.2025 के आलोक में PMMSY के तहत् कियान्वित की जा रही इस योजना हेतु लागू प्रीमियम का व्यय भार वहन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 60 : 40 के अनुपात में किया जाएगा। तद्नुसार राज्य योजना की प्रीमियम राशि Round off किये जाने पर मो0 55,66,816 / – रुपये मात्र होगा। केन्द्र सरकार राज्यांश के समानुपातिक अपने अंशदान की 60 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) हैदराबाद को सीधे प्रेषित करेगी, जो इस योजना की मत्स्य प्रक्षेत्र की नोडल एजेंसी है।

4. इस योजना के अंतर्गत NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2025-26 दिनांक 08.05.2025 के आलोक में इस योजना में 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरा लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य हों अथवा जिला स्तर, प्रमण्डल स्तर अथवा राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से सम्बद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने

वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्र हों अथवा मत्स्य पालन से संबंधित संबद्ध गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों की कोई अन्य क्षेणी हों।

Insurance की यह योजना NFDB के माध्यम से "Group Janata Personal Accident Policy (GJPA)"–सह–"Special Contingency Policy (SCP) Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization" दो संयुक्त कॉम्पोनेन्ट के साथ–साथ Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) सहित लागू होगी। इस योजना के लिए प्रति बीमित मछुआरा देय लाभ एवं प्रति वर्ष प्रीमियम की दरें निम्न प्रकार हैं–

(क) प्रति बीमित मछुआरा देय लाभ

Convergence of GAIS with PMSBY				
Type	Sum Insured (Rs.)			
	Accidental death	Permanent Total Disability	Permanent Partial Disability	Accidental Hospitalization
PMSBY	2.00 lakh	2.00 lakh	1.00 lakh	0
GAIS - GJPA	3.00 lakh	3.00 lakh	0	0
GAIS - SCP	0	0	1.50 lakh	25,000
Total	**5.00 lakh**	**5.00 lakh**	**2.50 lakh**	**25,000**

(ख) प्रति वर्ष प्रीमियम की दर

Details of Premium (Rs.)					
Sl. No.	Insurer	Premium Quoted (Rs.)			
		PMSBY	GJPA	SCP	Total
1	Go Digit General Insurance Limited	20.00	55.96	4.00	79.96

(ग) प्रति वर्ष प्रति बीमित हेतु प्रीमियम की दर – राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि (रु0 में)

PMMSY-Group Accident Insurance Scheme (GAIS) & Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY)					
क्रम	प्रीमियम का भार वहन	पॉलिसी का प्रकार	राज्य सरकार का अंशदान	केन्द्र सरकार का अंशदान	कुल
1	केन्द्र सरकार–60 % राज्य सरकार–40 %	GJPA	22.384	33.576	55.96
		SCP	1.60	2.40	4.00
		PMSBY	8.00	12.00	20.00
		Total	**31.984**	**47.976**	**79.96**

केन्द्र सरकार का अंशदान प्रतिशत **60 % = 47.976** रू0
राज्य सरकार का अंशदान प्रतिशत **40 % = 31.984** रू0

(लाभुंकों से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा)

4. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2025-26 दिनांक 08.05.2025 के आलोक में इस योजना अंतर्गत बीमा कवरेज के चतुर्थ वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024–25) की वार्षिक समयावधि को दिनांक 31.05.2025 को समाप्त करते हुए पाँचवाँ वर्ष अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक समयावधि दिनांक 01.06.2025 से प्रारंभ की जा रही है जो दिनांक 31.05.2026 तक होगी।

6. **Group Accident Insurance Scheme (GAIS)** की यह योजना केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना **(PMMSY)** के तहत् कियान्वित की जा रही है एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना **(PMMSY)** अंतर्गत राशि का व्यय **SNA-SPARSH Portal** के माध्यम से किया जाना है। **SNA-SPARSH** पर तकनीकी रुप से प्रत्येक राज्यांश **(S)** के विरुद्ध केन्द्रांश **(C)**

अर्थात् दोनों की राशि का भुगतान करते हुए विपत्र तैयार करने का Mandatory प्रावधान है। किन्तु Group Accident Insurance Scheme (GAIS) के तहत् मात्र राज्यांश मद के ही प्रीमियम का भुगतान राज्य द्वारा किया जाना है। इसी कम में आ रही तकनीकी कठिनाई को दूर करने हेतु वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ही Top Up मद में उपलब्ध बजटीय उपबंध से प्रीमियम भुगतान का परामर्श है।

उक्त क्रम में विभिन्न तीन लघु शीर्षवार उपलब्ध बजट उपबंध एवं योजना उद्व्यय के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत निम्न रूप से राज्यांश मद के राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है –

मॉग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–77–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (राशि रू0 में)

क	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	रा0 सं0 04 रा0 (वि0) दिनांक 10.06.2024 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन				
1	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	200000000	123000000	0	77000000
	कुल केन्द्रांश	**200000000**	**123000000**	**0**	**77000000**
2	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	133300000	82000000	0	51300000
3	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	3700000	0	0	3700000
4	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) 53X24050010177010649	18000000	0	3233519	14766481
	कुल राज्यांश	**155000000**	**82000000**	**3233519**	**69766481**
	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
5	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	100000000	22000000	0	78000000
	कुल केन्द्रांश	**100000000**	**22000000**	**0**	**78000000**
6	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	66700000	14667000	0	52033000
7	07–अन्य व्यय– 59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	1000000	0	0	1000000
8	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) 53X24050078977010649	9000000	0	546863	8453137
	कुल राज्यांश	**76700000**	**14667000**	**546863**	**61486137**
	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
9	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	124900000	80000000	0	44900000
	कुल केन्द्रांश	**124900000**	**80000000**	**0**	**44900000**
10	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	83200000	53333000	0	29867000
11	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	2300000	0	0	2300000
12	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) 53X24050079677010649	18000000	0	1786434	16213566
	कुल राज्यांश	**228400000**	**53333000**	**1786434**	**48380566**
	सकल केन्द्रांश:	**424900000**	**225000000**	**0**	**199900000**
	सकल राज्यांश	**335200000**	**150000000**	**5566816**	**179633184**
	कुल योग (2405) :	**760100000**	**375000000**	**5566816**	**379533184**

कुल स्वीकृत राशि 55,66,816/– (पचपन लाख छियासठ हजार आठ सौ सोलह) रुपये

7. बीमित व्यक्तियों को निम्न प्रकार बीमा लाभ प्राप्त होगा–
(क) मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित को अथवा उनके वैध आश्रित को मो० 5,00,000/– (पाँच लाख) रू० का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।
(ख) आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में मो० 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) रू० एवं मो० 25,000/– (पच्चीस हजार) रू० तक का अस्पताल खर्च भुगतान किया जाएगा।

8. (क) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे तथा संलग्न परिशिष्ट – 1 के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत डोरण्डा कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी कर इस योजना के नोडल एजेंसी NFDB को सीधे हस्तांतरित किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर संसूचित सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

NFDB के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2025-26 दिनांक 08.05.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंक खाते का विवरण निम्न है –

Sl. No.	Particulars	Details
1)	Name of the Account Holder	National Fisheries Development Board
2)	Account Number	110311010000004
3)	Name of the Bank	Union Bank of India
4)	Name of the Branch	Secretariat Branch, Hyderabad
5)	IFS Code	UBIN0811033

(ख) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

9. पूर्व में चालित केन्द्र प्रायोजित सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की भाँति ही जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित अनुलग्नकों सहित भरे हुए तथा बीमित/वैध आश्रित द्वारा हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा मत्स्य निदेशालय को भेजे जायेंगे। निदेशालय द्वारा इसे नोडल एजेंसी (NFDB) को भेजा जायेगा अथवा NFDB से प्राप्त निदेशों के आलोक में प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

10. जिला मत्स्य पदाधिकारी/दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी, बीमित के बैंक खाते से संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को बीमित के दुर्घटना/मृत्यु की सूचना ससमय संसूचित करेंगे ताकि किसी एक ही एजेंसी अर्थात बैंक के माध्यम से अथवा NFDB के माध्यम में से मात्र एक ही दावे का भुगतान बीमित को हो।

11. इस योजना के लिए उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित योजना उदव्यय तथा बजट–उपबंध के अंतर्गत है।

12. जिलावार, लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है।

13. जिला मत्स्य कार्यालयों, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश के द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा ताकि अज्ञानतावश मछुआरे इस योजना के लाभ से वंचित न रहें।

14. मत्स्य निदेशालय/जिला मत्स्य कार्यालयों के द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के पृथक–पृथक एक पृष्ठ के सूचना पैम्फलेट प्रकाशित कराये जायेंगे, ताकि लक्षित वर्ष के समस्त लोगों को ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जा सके।

15. यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् एक Component के रुप में चालू की गई है तथा इस योजना के अंतर्गत कोई भी राशि अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है।

16. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत प्रस्तावित कुल 1,74,050 मछुआरों के बीमा कवरेज हेतु मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 787 दिनांक 15.05.2025 एवं 887 दिनांक 30.05.2025 द्वारा NFDB, हैदराबाद को संसूचित है। इसपर राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval & Monitoring Committee – SLAMC) से घटनोत्तर अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

17. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–302 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा अधिसूचना सं0–सी0एस0–01/आर0–04/ 2001/1269 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

18. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17–04–98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

19. इस योजना का कियान्वयन भारत सरकार एवं नोडल एजेंसी NFDB, हैदराबाद द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 15 रा0(वि0)/ राँची, दिनांक 20.08.25
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 15 रा0(वि0)/ राँची, दिनांक 20.08.25
प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुंसधान)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS/NFDB, हैदराबाद/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग सं0–53–मत्स्य–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–77–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मछुआरों के बीमा का भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय (रुपये में) लक्ष्य													
क्र0	जिला का नाम	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना			लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन			कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	
		विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय											
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य				
			राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राँची	1598	51110.432	76665.648	4096	131006.464	196509.696	2134	68253.856	102380.784	7828	250370.752	375556.128
2	खूँटी	808	25843.072	38764.608	1779	56899.536	85349.304	615	19670.160	29505.240	3202	102412.768	153619.152
3	गुमला	277	8859.568	13289.352	3736	119492.224	179238.336	2810	89875.040	134812.560	6823	218226.832	327340.248
4	सिमडेगा	266	8507.744	12761.616	7926	253505.184	380257.776	502	16055.968	24083.952	8694	278068.896	417103.344
5	लोहरदगा	381	12185.904	18278.856	6174	197469.216	296203.824	2342	74906.528	112359.792	8897	284561.648	426842.472
6	लातेहार	127	4061.968	6092.952	6152	196765.568	295148.352	2093	66942.512	100413.768	8372	267770.048	401655.072
7	प0 सिंहभूम	329	10522.736	15784.104	3568	114118.912	171178.368	951	30416.784	45625.176	4848	155058.432	232587.648
8	पूर्वी सिंहभूम	150	4797.600	7196.400	981	31376.304	47064.456	1669	53381.296	80071.944	2800	89555.200	134332.800
9	सरायकेला	800	25587.200	38380.800	5000	159920.000	239880.000	8000	255872.000	383808.000	13800	441379.200	662068.800
10	दुमका	574	18358.816	27538.224	3972	127040.448	190560.672	6006	192095.904	288143.856	10552	337495.168	506242.752
11	जामताड़ा	508	16247.872	24371.808	1763	56387.792	84581.688	4055	129695.120	194542.680	6326	202330.784	303496.176
12	साहेबगंज	1178	37677.152	56515.728	1013	32399.792	48599.688	4365	139610.160	209415.240	6556	209687.104	314530.656
13	पाकुड़	276	8827.584	13241.376	4144	132541.696	198812.544	2268	72539.712	108809.568	6688	213908.992	320863.488
14	हजारीबाग	1437	45961.008	68941.512	445	14232.880	21349.320	5512	176295.808	264443.712	7394	236489.696	354734.544
15	रामगढ़	187	5981.008	8971.512	254	8123.936	12185.904	5559	177799.056	266698.584	6000	191904.000	287856.000
16	कोडरमा	1925	61569.200	92353.800	98	3134.432	4701.648	5517	176455.728	264683.592	7540	241159.360	361739.040
17	चतरा	1840	58850.560	88275.840	556	17783.104	26674.656	3708	118596.672	177895.008	6104	195230.336	292845.504
18	बोकारो	180	5757.120	8635.680	510	16311.840	24467.760	3400	108745.600	163118.400	4090	130814.560	196221.840
19	गिरिडीह	870	27826.080	41739.120	279	8923.536	13385.304	7432	237705.088	356557.632	8581	274454.704	411682.056
20	धनबाद	908	29041.472	43562.208	903	28881.552	43322.328	4889	156369.776	234554.664	6700	214292.800	321439.200
21	गोड्डा	344	11002.496	16503.744	1027	32847.568	49271.352	5121	163790.064	245685.096	6492	207640.128	311460.192
22	पलामू	161	5149.424	7724.136	276	8827.584	13241.376	5925	189505.200	284257.800	6362	203482.208	305223.312
23	गढ़वा	397	12697.648	19046.472	368	11770.112	17655.168	5992	191648.128	287472.192	6757	216115.888	324173.832
24	देवघर	1577	50438.768	75658.152	834	26674.656	40011.984	10233	327292.272	490938.408	12644	404405.696	606608.544
योग:		17098	546862.432	820293.648	55854	1786434.336	2679651.504	101098	3233518.432	4850277.648	174050	5566815.200	8350222.800
अर्थात्:		17098	546863.00	820294.00	55854	1786434.00	2679651.00	101098	3233519.00	4850278.00	174050	5566816.00	8350223.00

राज्यांश कुल मो0 55,66,816/– (पच्चपन लाख छियासठ हजार आठ सौ सोलह) रुपये मात्र।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव